

e-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं0सं0- 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 (खण्ड).....²⁸⁷³

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय एवं शिवहर

पटना, दिनांक-^{21/08/2026}

विषय :-

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अर्न्तगत तैयार किये जा रहे महत्त्वपूर्ण अभिलेखों के संरक्षण सुनिश्चित कराने का दायित्व निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

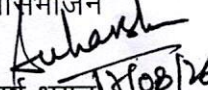
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 15 अगस्त, 2026 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु चयनित जिले यथा अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय एवं शिवहर में चल रहे सर्वेक्षण कार्यों का दिनांक-10.08.2026 को समीक्षा के क्रम में कतिपय जिलों के अभिलेख Missing की सूचना प्रदत्त की गयी।

विशेष सर्वेक्षण के दौरान तैयार किये जाने वाले अभिलेख अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील होते हैं तथा इन अभिलेखों का Missing होना बहुत ही चिंताजनक एवं गंभीर बात है। उच्च स्तर पर वर्णित मामले में खेद व्यक्त करते हुए ऐसे सभी संबंधितों की पहचान कर दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने/अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया है। साथ ही महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का संरक्षण सुनिश्चित कराने का दायित्व जिले में पदस्थापित लेवल-7 के राजस्व पदाधिकारियों को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

आप अवगत हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य तकनीक आधारित है तथा तैयार किये जा रहे अभिलेखों/आदेशों को विभागीय पोर्टल पर प्रक्रमवार अपलोड किये जाने का प्रावधान है। इन अभिलेखों/मानचित्रों का बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के प्रावधानानुसार संरक्षण/भंडारण/रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि Missing अभिलेख के मामले में दोषियों की पहचान करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक हो तो प्राथमिकी दर्ज करें अथवा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय। अभिलेखों को प्रक्रमवार विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ-साथ उनका संरक्षण सुनिश्चित कराने का दायित्व अपने अधीनस्थ पदस्थापित राजस्व सेवा के लेवल-7 के किसी पदाधिकारी को नामित करते हुए इसकी सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन


(सुहर्ष भगत) 21/08/26

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण।

ज्ञापांक: 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 (खण्ड) 2873 पटना, दिनांक 21/08/26

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार (उपरोक्त अंकित जिलों को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि Missing अभिलेखों से संबंधित यदि कोई मामला वर्तमान/भविष्य में आपके जिले में प्रकाश में आता है तो पत्र में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अभिलेखों को प्रक्रमवार विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ-साथ उनका संरक्षण सुनिश्चित कराने का दायित्व अपने अधीनस्थ पदस्थापित राजस्व सेवा के लेवल-7 के किसी पदाधिकारी को सौंपते हुए इसकी सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

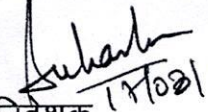
प्रतिलिपि : सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सहायक निदेशक/उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय/सभी नोडल पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण बिहार, पटना को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक 18/08/26

भू-अभिलेख एवं परिमाण